पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited सूचना का अधिकार अभिनियम 2005के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं2., सैक्टर29-, गुडगांव, हरियाणा122007Corporate Centre 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

Ref: C/CP/AA/RTI Act, 2005/2018/457

Shri Kanchan Kumar, R/o Village, Ashok Nagar, PO – Nolakhi, Bhaya – Murliganj, Purniya, Bihar - 852122

Sub: Order dated 8/1/2019 from the Appellate Authority on RTI appeal dated 26th November, 2018 from Shri Kanchan Kumar.

Dear Sir,

This has reference to the order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 8th January, 2019, from the Appellate Authority on the subject matter. As directed by the Appellate Authority, the desired information is attached herewith.

Thanking you,

भवदीय,

(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Date: 16th January, 2019

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Copy to:

Shri Sanjeev Singh, Appellate Authority & ED (CMG) POWERGRID, Gurgaon.

ANNEX-I

Serial No	RTI Question	Reply to be sent
	मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड द्वारा उक्त शिकायत की प्रप्ति की तिथि से अब तक क्या कारवाई की गई है। तिथिवार विवरण उप्लब्ध कराएं।	
2	सतर्कता अनुभाग, पावरग्रिड जांच के लिये केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रदत्त 90 दिन की समय-सीमा को कितना बढा सकती है। स्पष्ट करें।	
3	इस जाँच में अत्यधिक विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है। विवरण उप्लब्ध कराएं	जाँच जारी है ।
4	यदि जांच समाप्त हो गई हो तो रिपोर्ट की प्रति उप्लब्ध कराएं	जाँच जारी है ।

